# फर्द अहकाम

मनोज बनाम अनोखी देवी वगै०

लय सहायक कलक्टर शाहपुरा

शेष 58/2020 दावा 53,188 रा.का.अधि.

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष |
| --- | --- | --- |
| 18-11-20 | वकील वादी उप०। प्रतिवादीगण बावजूद तामील के कोई उपस्थित नहीं। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील वादी ने बटवारा रिपोर्ट के अनुसार दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बटवारा रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा के द्वारा तैयार नहीं की गई है, अतः तहसीलदार शाहपुरा को राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार बटवारा रिपोर्ट पुनः मंगवाने हेतु लिखा जावे। तहरीर जारी हो। पत्रावली दि० 27/11/20 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर<br>शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज. | |
| 27/11/20 | वकील वादी उप०। वकील वादीगण ने दिनांक 25/11/20 को प्राप्त बटवारा रिपोर्ट के अनुसार वादपत्र डिक्री किए जाने का निवेदन किया। वादी सं-2 ने अपना हिस्सा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादी सं० 1 को बेचान कर दिया है। वास्ते आदेश पत्रावली दि० 1-12-20 को पेश हो।<br>सहायक कलक्टर<br>शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज. | |
| 1-12-20 | वकील वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। अतः दावा बटवारा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।<br>सहायक कलक्टर<br>शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज. | |

Scanned with CamScanner

## न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या – 58/2020

उनवान

1. मनोज कुमार जांगिड पुत्र श्री सीताराम जांगिड
2. कोमलकी देवी पत्नी बाबूलाल जांगिड

समस्त जाति खाती, निवासीयान धानौता, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. अनोखी देवी पत्नी पप्पूराम
2. कालूराम पुत्र हरसा
3. कौशल्या पुत्री मूलचंद
4. छोटीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद
5. घीसालाल पुत्र धीसा
6. जगदीश पुत्र गीगराज
7. टन्डु पुत्र रूडा
8. पप्पू पुत्र गंगाराम
9. बादूडी पत्नी मूलचंद
10. बाबूलाल पुत्र गीगराज
11. बालूराम पुत्र झूथाराम
12. मुकेश कुमार पुत्र प्रभूदयाल
13. मंगल पुत्र मूलचंद
14. मंजू पुत्री मूलचंद
15. ममता पुत्री मूलचंद
16. महेश पुत्र मूलचंद
17. महावीर पुत्र गीगराज
18. मांगीलाल पुत्र भोला
19. रूकमा पुत्री झूथाराम
20. लक्ष्मण पुत्र भोला
21. विनोद कुमार पुत्र झूथाराम
22. शंकर पुत्र झूथाराम
23. शांति देवी पत्नी कालूराम
24. संतोष पुत्र मूलचंद
25. सुभाष पुत्र प्रभूदयाल
26. सुरेश कुमार पुत्र गीगराज
27. सीता देवी पत्नी प्रभूदयाल
28. हेमराज पुत्र प्रभूदयाल
29. हेमाराज पुत्र झूथाराम
30. हरिकिशन पुत्र गीगराज

समस्त जाति माली, निवासी धानौता, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।

31. कंवरी देवी पत्नी बलदेव, जाति गुर्जर, निवासी नारायणपुरा, तह0 कुचामन सीटी, जिला नागौर, राजस्थान।
32. प्रभाती देवी पत्नी कानाराम, जाति गुर्जर, निवासी रेवाड़ा की ढाणी ग्राम धोकलिया, तह0 परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान।
33. शंकर लाल पुत्र रामनाथ, जाति जाट, निवासी रानीपुरा, तह0 शाहपुरा , जिला जयपुर।
34. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा , जिला जयपुर।
35. उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा, जिला जयपुर।
36. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–नायन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज.।
37. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा – धानौता तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज.।
38. शाखा प्रबन्धक ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा–तिगरिया, तह0 चौमू जिला जयपुर राज.।
39. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा–चौमू, जिला जयपुर राज.।
40. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा–चौमू, जिला जयपुर राज.।
41. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा–उदयपुरिया, जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

दावा बाबत् बंटवारा (तकास्मा) एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा – 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

निर्णय दिनांक : 01.12.2020

वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खाता सं0– 553 के खसरा नं0 – 607/1/3.7477 कुल किता – 1 रकबा 3.7477 है0 वाके ग्राम धानौता तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें वादी स0 1 का हिस्सा 1021/76464 व वादीगण स0 2 का हिस्सा 1/120 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा में वादीगण अपने हिस्से पर पुख्ता हाल तामीरात कर काबिज काश्त है तथा प्रतिवाद भी अपने – अपने हिस्से पर काबिज काश्त होकर सहखातेदार काश्तकार है। वाद पत्र के जिमन न0–1 में वर्णित आराजी मुतनाजा का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य कानूनी बंटवारा नही हुआ है तथा उक्त आराजी मुतनाजा गाव की मुख्य सड़क से लगती हुई है इस कारण प्रतिवादीगण के मन में दुर्भावना आ गई है और वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही सडक से लगते हुये विशिष्ट भू–भाग को किसी अजनबी लठैत व्यक्ति को बेचान कर उसके पक्ष मे प्रतिवादी सं0 11 के कार्यालय मे अंतरण डीड पंजीवद कराने तथा आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन कराने पर आमादा है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा कोई कानूनी अधिकार नही है तथा प्रतिवादीगण का ऐसा करना गलत एवं गैर कानूनी है।

दिनाक 31.08.2020 को वादीगण आराजी मुतनाजा मे खडी फसल की देख रेख कर रहे थे तब प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर 5–7 अजनबी व्यक्तियो को लेकर आये और आराजी मुतनाजा के सड़क से लगते विशिष्ट भू–भाग की नाप जोख करने लगे तब वादीगण ने उनसे नाप जोख करने का कारण पुछा तो प्रतिवादीगण वादीगण से नाराज हो गये तथा आवेश मे आकर वादीगण को ऐलानिया धमकी दी है कि वे आराजी मुतनाजा का बिना कानूनी बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को अजनबी व्यक्तियो को बेचान कर उसके पक्ष मे अंतरण करवाकर आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे परिवर्तन करवाकर रहेगे तथा अजनबी व्यक्ति का वादीगण का जबरन बेदखल कर आराजी के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करवाकर रहेगे।

प्रतिवादीगण अपने मनसुबे में सफल हो गये और उन्होने आराजी मुतनाजा का बिना बंटवारा करवाये ही आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग का बेचान अजनबी व्यक्तियों को कर उनके पक्ष में अंतरण डीड पंजीवद करवाकर व आराजी के राजस्व रिकॉर्ड मे परिवर्तन करवाकर वादीगण को आराज मुतनाजा से जबरन बेदखल कर आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग पर अजनबी व्यक्ति का कब्जा करवा देंगे तो इससे वादीगण के खातेदारी हक अधिकारो का हनन होगा जिससे वादीगण को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षति पूर्ती किसी भी प्रकार से धन राशि के रूप मे सम्भव नही हो सकेगी। तथा पक्षकारो में अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी इस कारण वादीगण को ये वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध आराजी का बंटवारा करवाने व उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ।

आ.ख.न. 607/1 रक्बा 3.7477 वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार कानूनी बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे व राजस्व लगान का अलग से निर्धारण किया जावे। प्रतिवादीगण को सदैव सदैव के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी के हिस्से में आई भूमि पर किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नही करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित वादीगण ने प्रकरण को प्राथमिक डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया तहसीलदार शाहपुर से दिनांक 06.11.2020 को बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई वकीलवादी ने दिनांक 18.11.2020 को बंटवारा रिपोर्ट अनुसार प्रकरण निर्णित करने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया बंटवारा रिपोर्ट राजस्व मण्डल के निर्देशानुसार तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किये जाने पर पुनः तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट मंगाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार शाहपुरा से दिनांक 25.11.2020 को बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त की गई । वकील वादी को बंटवारा रिपोर्ट पर सुना गया । वकील वादी ने तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा अन्तिम डिकी किये जाने का निवेदन किया । प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। वादी सं0 2 द्वारा अपना हिस्सा जरिये विकय पत्र वादी सं0 1 के नाम कर दिया गया है। अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट खातेदार के दर्ज हिस्से अनुसार सही होना प्रतीत होता है तथा दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 607/1 रकबा 3.7477 है0, वाके ग्राम धानोता तह. शाहपुरा का जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे –

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला–जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

1. आ.ख.नं. 607/5 रकबा 0.0812 हैo भूमि वादी सं 1 मनोज कुमार जांगिड़ के हिस्से में रहेगी।

2. आoखoनंo 607/1 रकबा 36665 हैo भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 2904/36665 प्रतिवादी सं. 31 का हिस्सा 1000/36665, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 3176/36665, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 170/36665, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 794/36665, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा, 794/36665, रहीन सम्पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा नायन , प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा, 159/36665 रहीन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धानोता, प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा 3176/36665, प्रतिवादी सं. 32 का हिस्सा 1000/36665, प्रतिवादी सं. 8 का हिस्सा 7623/36665 रहीन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धानोता, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 170/36665, प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 159/36665 रहीन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धानोता, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 635/36665 रहीन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा तिगरिया, प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा 695/36665 रहीन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 567/36665, प्रतिवादी सं. 14 का हिस्सा 170/36665, प्रतिवादी सं. 15 का हिस्सा 170/36665, प्रतिवादी सं. 16 का हिस्सा 567/36665, प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 159/36665, प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 2382/36665, प्रतिवादी सं. 19 का हिस्सा 635/36665, रहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 20 का हिस्सा 2382/36665 रहीन बैंक ऑफ बड़ौदा उदयपुरिया, प्रतिवादी सं. 21 का हिस्सा 635/36665 रहीन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा तिगरिया, प्रतिवादी सं. 22 का हिस्सा 635/36665 रहीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 33 का हिस्सा 794/36665, प्रतिवादी सं. 23 का हिस्सा 1906/36665 रहीन बैंक ऑफ बड़ौदा उदयपुरिया, प्रतिवादी सं. 24 का हिस्सा 567/36665, प्रतिवादी सं. 25 का हिस्सा 695/36665 रहीन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 26 का हिस्सा 159/36665, प्रतिवादी सं. 27 का हिस्सा 298/36665 रहीन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमू, 28 का हिस्सा 695/36665 रहीन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 29 का हिस्सा 635/36665 रहीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 30 का हिस्सा 159/36665, भूमि के हिस्से मे रहेगी।कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 01.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

( मनमोहन मीना )
सहायक कलक्टर
शाहपुरा, जिला जयपुर

सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रपत्र 6

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

# न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट पदेन सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी — श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या — 08/2020

धनवान

1 मनोज कुमार जांगिड़ पुत्र श्री सीताराम जांगिड़
2 सीतादेवी देवी पत्नी बाबूलाल जांगिड़
समस्त जाति खाती, निवासीगण धानोता, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर (राज.)

वादीगण

बनाम

1. झनकी देवी पत्नी मन्नूराम
2. कान्हूराम पुत्र हरका
3. कौशल्या पुत्री मूलचंद
4. गोपीराम पुत्र बद्रीप्रसाद
5. चौथमल पुत्र भींवा
6. जगदीश पुत्र गोपाराम
7. टप्पू पुत्र कल्ला
8. धांनू पुत्र गोपाराम
9. बादुड़ी पत्नी मूलचंद
10. बाबूलाल पुत्र गोपाराम
11. बाबूराम पुत्र झूथाराम
12. मुकेश कुमार पुत्र प्रभुदयाल
13. मगन पुत्र मूलचंद
14. मंजू पुत्री मूलचंद
15. ममता पुत्री मूलचंद
16. महेश पुत्र मूलचंद
17. महावीर पुत्र गोपाराम
18. मोतीलाल पुत्र भींवा
19. रूकमा पुत्री झूथाराम
20. लक्ष्मण पुत्र भींवा
21. विनोद कुमार पुत्र झूथाराम
22. शंकर पुत्र झूथाराम
23. शांति देवी पत्नी कान्हूराम
24. संतोष पुत्र मूलचंद
25. सुभाष पुत्र प्रभुदयाल
26. सुरेश कुमार पुत्र गोपाराम
27. सीता देवी पत्नी प्रभुदयाल
28. हंसराज पुत्र प्रभुदयाल
29. हंसराज पुत्र झूथाराम
30. हरिकिशन पुत्र गोपाराम
समस्त जाति माली, निवासी धानोता, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
31. केलकी देवी पत्नी बलदेव, जाति गुर्जर, निवासी नारायणपुरा, तह0 कुचामन सीटी, जिला नागौर, राजस्थान।
32. प्रभाती देवी पत्नी कानाराम, जाति गुर्जर, निवासी रेवाड़ा की ढाणी ग्राम चोकड़िया, तह0 परबतसर, जिला नागौर, राजस्थान।
33. शंकर लाल पुत्र रामनाथ, जाति जाट, निवासी रामीपुरा, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
34. राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
35. उपपंजीयक कार्यालय शाहपुरा, जिला जयपुर।
36. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा-नायन, तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज.।
37. शाखा प्रबन्धक जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा – धानोता तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, राज.।
38. शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा-सिंगरिया, तह0 चौमू जिला जयपुर राज.।
39. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा-चौमू, जिला जयपुर राज.।
40. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा-चौमू, जिला जयपुर राज.।
41. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा-उदयपुरिया, जिला जयपुर राज.।

प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

Scanned with CamScanner

# दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट के अनुसार आ.ख.न. 607/1 रकबा 3.7477 है0, वाके ग्राम धानोता तह. शाहपुरा का जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य निम्न बंटवारा किया जाकर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारा अनुसार एक–दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे –

1. आ.ख.नं. 607/5 रकबा 0.0812 है0 भूमि वादी सं 1 मनोज कुमार जांगिड़ के हिस्से में रहेगी।

2. आ0ख0नं0 607/1 रकबा 36665 है0 भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा 2904/36665 प्रतिवादी सं. 31 का हिस्सा 1000/36665, प्रतिवादी सं. 2 का हिस्सा 3176/36665, प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा 170/36665, प्रतिवादी सं. 4 का हिस्सा 794/36665, प्रतिवादी सं. 5 का हिस्सा, 794/36665, रहीन सम्पूर्ण खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा नायन , प्रतिवादी सं. 6 का हिस्सा, 159/36665 रहीन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धानोता, प्रतिवादी सं. 7 का हिस्सा 3176/36665, प्रतिवादी सं. 32 का हिस्सा 1000/36665, प्रतिवादी सं. 8 का हिस्सा 7623/36665 रहीन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धानोता, प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 170/36665, प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 159/36665 रहीन जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा धानोता, प्रतिवादी सं. 11 का हिस्सा 635/36665 रहीन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा तिगरिया, प्रतिवादी सं. 12 का हिस्सा 695/36665 रहीन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 13 का हिस्सा 567/36665, प्रतिवादी सं. 14 का हिस्सा 170/36665, प्रतिवादी सं. 15 का हिस्सा 170/36665, प्रतिवादी सं. 16 का हिस्सा 567/36665, प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा 159/36665, प्रतिवादी सं. 18 का हिस्सा 2382/36665, प्रतिवादी सं. 19 का हिस्सा 635/36665, रहिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 20 का हिस्सा 2382/36665 रहीन बैंक ऑफ बडौदा उदयपुरिया, प्रतिवादी सं. 21 का हिस्सा 635/36665 रहीन ऑरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा तिगरिया, प्रतिवादी सं. 22 का हिस्सा 635/36665 रहीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 33 का हिस्सा 794/36665, प्रतिवादी सं. 23 का हिस्सा 1906/36665 रहीन बैंक ऑफ बडौदा उदयपुरिया, प्रतिवादी सं. 24 का हिस्सा 567/36665, प्रतिवादी सं. 25 का हिस्सा 695/36665 रहीन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 26 का हिस्सा 159/36665, प्रतिवादी सं. 27 का हिस्सा 298/36665 रहीन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमू, 28 का हिस्सा 695/36665 रहीन पंजाब नेशनल बैंक शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 29 का हिस्सा 635/36665 रहीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा चौमू, प्रतिवादी सं. 30 का हिस्सा 159/36665, भूमि के हिस्से मे रहेगी।कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावे।

निर्णय आज तारीख 01.12.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

( मनमोहन मीना )
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प<br>2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प<br>4. ......... रूपये पर प्लीडर की फीस<br>5. साक्षियो के लिए निर्वाह – व्यय<br>6. कमिश्नर की फीस<br>7. आदेशिका की तामिल | / | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | / |
| जोड | | जोड | |